तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **पाबूराम बनाम** **लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर (शहर प्रथम), जोधपुर)** सू.अ. अपील संख्या 89 / 2024	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11 / 11 / 2024	अपीलार्थी पाबूराम निवासी ग्राम हरियाढाणा, तहसील बिलाडा, जोधपुर ग्रामीण ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.09.2024 में ग्राम हरियाढाणा के पटवारी द्वारा सन 2024 में बनाई गई कृषकों के नाम आपदा अनुदान सूची रिकार्ड रक्षित या ऑनलाईन जिस प्रारूप में है उसकी प्रमाणित प्रति एवं अन्य बिन्दुओं से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर (शहर प्रथम), जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (अति. जिला कलक्टर (शहर प्रथम), जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (अति. जिला कलक्टर (शहर प्रथम), जोधपुर) ने अवगत कराया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना उपलब्ध कराने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये पत्रांक 2155 दिनांक 25.10.2024 को प्रभारी अधिकारी, सहायता शाखा, जिला कलक्टर कार्यालय, जोधपुर को प्रेषित किया गया परंतु वांछित सूचना प्रभारी अधिकारी, सहायता शाखा से अभी तक अपेक्षित होने से प्रार्थी को उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) के स्तर से अपेक्षित नही होकर लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, सहायता शाखा एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जोधपुर) के स्तर पर लंबित है। अतः अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी (प्रभारी अधिकारी, सहायता शाखा एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (तृतीय) जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे अन्यथा नही दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत करावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर जोधपुर	

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District Magistrate
Date: 2024.11.11 18:24:06 IST
Reason: Approved